

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/1621

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 22.04.25

अप्रार्थीगण

1 बांकाराम 2 रूपाराम  
पिसरान कुशलाराम  
जाति कुमावत निवासी  
मगनोणियो की ढाणी  
भाडखा तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण व  
जिला बाड़मेर।


1 नगाराम पुत्र रणजीताराम 2 अन्तरी पत्नि रणजीताराम 3  
केकूदेवी पत्नि काछबाराम 4 कमलादेवी पत्नि सगताराम 5  
करसूखी पत्नि शैतानसिंह 6 तीजोदेवी पत्नि 7 अजीताराम 7  
भीरवी पत्नि केराराराम 8 मांगीदेवी पत्नि मालाराम 9 सरसा  
पत्नि अर्जुनाराम 10 सरसो पत्नि ताराराम 11 सुवा पत्नि  
भभुताराम 12 हपियोदेवी पत्नि वीराराम 13 हरखुदेवी पत्नि  
बगताराम 14 हरियादेवी पत्नि चनणाराम 15 रामूराम 16  
खेताराम पिसरान देवाराम 17 चांपाराम 18 पेमाराम 19  
मंगलाराम 20 मदनलाल 21 वीरमाराम पिसरान गोर्धनराम 22  
गोमाराम 23 पीराराम पिसरान जालुराम 24 सोनाराम पुत्र  
मंगलाराम जातियान कुमावत निवासी हरियाली भाडखा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 25 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 598/2024

दिनांक- 16/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मगनाणियो की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 948/799 रकबा 6.5235 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के  
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की  
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



( वीरमा राम )


उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
बाड़मेर

दिनांक- 22.04.25

क्रमांक :- रीडर/2025/1622-1625

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण बांकाराम पुत्र कुशलाराम वगैराह जाति कुमावत निवासी मगनोणियो की ढाणी भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण नगाराम पुत्र रणजीताराम वगैराह जाति जातियान कुमावत निवासी हरियाली भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उप खण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
बाड़मेर